

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय ड्राफ्ट:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मैसी पाठ्यक्रम जोड़क इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने को उपराल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आर्सेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बंदी पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक सं-मद-3 में डिप्लोमा इन कार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथानव् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु गिम्बकित स्तरी को अर्सेदित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4887	एम सीएस डीकेड जॉय कार्मैसी, मीरपुर, मीरपुर।	डिप्लोमा इन कार्मैसी	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीटीआई/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रगत प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एस्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद डिप्लोमावाली 1962, गौरीपुर डिप्लोमावाली-2018 तथा अन्य विनित नियमों एवं आर्सेदों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों इर्सेद पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों कार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षों पाठ्यक्रमों (दो बर्षों कार्मैसी पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.



कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अधिकार प्राचीन तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/बार्मेसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/08/2021 को परिषद कार्यालय ने सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उा प्रो लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:

संस्था का कोड एवं नाम : 4897-RAM NAGINA COLLEGE OF PHARMACY VILL-JAICHANDCHAK,POST-BASUCHAK,TEHSIL- SAIDPUR,GHAZIPUR 233306

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1992, संशुद्ध विनियमनाली 2015 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजीए पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय सार्नेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उल्लेख के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शसन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर अनु होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने) विनियमनाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय,

उच्च, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - प्राथिपापरिषद्/सम्बद्धता/2022/9785

संखनक: दिनांक: 10/10/2022

-कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय कार्यालय नई दिल्ली द्वारा यौक्तिक सं. 2022-23 हेतु किलोमीटर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के अलावा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च संखनक से सम्बद्धता सावद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु संखनक- 10/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2022-23 हेतु अर्जित-ई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश दाता इति सहित अन्य तथ्यों पर विचार करते हुए सं. 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सावद्धता समिति की बैठक में उचित गठे निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च संखनक द्वारा सं. 2022-23 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:

संस्था का कोड एवं नाम : 4897-RAM NAGINA COLLEGE OF PHARMACY			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०-भाई०सी०टी०ई०टी० पी०सी०आइ० द्वारा सं. 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एम्बेडेडसीटी/अडेप्टीगोवर्ग/आर० द्वारा नियमित की गई सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2000, सेक्टर विनियमावली-2018 तथा सात-सात पर निर्भर शासनदोषों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इको पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं में शुल्क के सम्बन्ध में समय समय पर साधन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों का पालन होगा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सं. 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस का नवीनतम दर लागू होगा।
- ✓ संस्था में सखुल प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदनित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को स्वयं-स्वयं पर निर्भर शासनादेशों के अनुसार विरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधियों/अविनियामित/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, उच्च प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।